प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 23/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020 जारी किया:

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2020: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 17.04.2020 को "दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020 जारी किया। इन विनियमों के माध्यम से, 0.30 रुपये प्रति मिनट के नियत अंतर्राष्ट्रीय समाप्ति प्रभार (आईटीसी) की व्यवस्था को 0.35 रुपये प्रति मिनट से 0.65 रुपये प्रति मिनट की निर्धारित सीमा के भीतर प्रविरत व्यवस्था में संशोधित किया गया है। इसके अलावा, स्टैंडअलोन और एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटरों (आईएलडीओ) के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, यह अनिवार्य किया गया है कि पहुंच सेवा प्रदाता सभी को यानी अपने संबद्ध आईएलडीओ और स्टैंडअलोन आईएलडीओ को आईटीसी की गैर–विभेदक दर मुहैया कराएगा।

2. अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार (आईटीसी) वो प्रभार है जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटर (आईएलडीओ) द्वारा देय होते हैं, यह विदेश से आने वाली कॉल को देश में पहुंच प्रदाता, जिसके नेटवर्क पर कॉल समाप्त होती है, तक पहुंचाता है।

3. अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग कॉल के लिए समापन प्रभार के संबंध में प्रचलित आईयूसी विनियम 12 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था और यह 1 फरवरी, 2018 से लागू हो गया था। इस संशोधन द्वारा वायरलाइन और वायरलेस नेटवर्क के लिए अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग कॉल हेतु समापन प्रभार को 01.02.2018 से 0.30 रु. प्रति मिनट किया गया था।

4. पिछला संशोधन अधिसूचित करते समय प्राधिकरण ने कहा था कि वो देश में अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) के वॉइस ट्रैफिक के रुझानों और पैटर्न पर कड़ी नजर रखेगा। प्राधिकरण ने यह भी कहा था कि अगर जरूरी समझा गया तो वो समय–समय पर अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार (आईटीसी) की समीक्षा कर सकता है। प्राधिकरण दूरसंचार बाजार के घटनक्रमों और इनकमिंग एवं आउटगोइंग आईएलडी वॉइस ट्रैफिक वॉल्यूम के रुझानों की लगातार निगरानी करता रहता है।

5. उपरोक्त के दृष्टिगत, भादूविप्रा ने हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए दिनांक 08.11.2019 को इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार की समीक्षा करने के लिए एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया था। हितधारकों को अपनी लिखित टिप्पणी 09.12.2019 और प्रति–टिप्पणी 23.12. 21019 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था । हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं। सभी हितधारकों के साथ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में 03.02.2020 को एक खुला मंच चर्चा आयोजित की गई थी।

6. हितधारकों से प्राप्त लिखित टिप्पणियों और खुला मंच चर्चा तथा इसके स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने इन विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट किया कि आईटीसी की दर 0.35 रु. प्रति मिनट से 0.65 रु. प्रति मिनट की निर्धारित सीमा के भीतर प्रविरत (forbearance) रखी जाएगी। विनियमों में संशोधन करने के उद्देश्य और कारण विनियमों के साथ संलग्न व्याख्यात्मक क्षापन में दिए गए हैं।

7. व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ ''दूरसंचार उपयोग प्रभार (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020'' का पूर्ण पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट: www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

8. अधिक जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए श्री एस. के. सिंघल, सलाहकार (बीबी एंड पीए) से फोन नंबर 011–23221509 पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस.के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।